छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 1-9-2005

कमांक एफ–10/28/2005/वाक/पांच (41) – छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 (कमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा उपाबंध एक में विनिर्दिष्ट उद्योगों से भिन्न नीचे दी गयी अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार छूट लेने के दिनांक से, जो भी पूर्व हो, कालम 3 में बताये गये क्षेत्रों के अनुसार एवं कालम 4 में दर्शाये गये उद्योगों की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को कालम 5 में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कालम 6 में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन उपाबंध दो में दी गयी प्रकिया अनुसार एवं उपाबंध तीन की सामान्य शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान करती है।

अनुसूची

क.	व्यवसायी का वर्ग	क्षेत्र, जहां उद्योग स्थापित है	उद्योगों की श्रेणी	छूट की अधिकतम कालावधि	निर्बन्धन तथा शर्तों जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट दी गई है
1	2	3	4	5	6
1	ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने नवीन लघु उद्योग, मध्यम–वृहद उद्योग या मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना की हो अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार किया हो।	**(क)** सामान्य क्षेत्र	**1– सामान्य सेक्टर उद्योग** अ– नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई की विस्तार **2– विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग** अ– नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	 5 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष	1– जब प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची दो व तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केप्टिव क्वारी/मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) का विनिर्माण में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर कराया जाये। 2– स्थानीय क्षेत्र मे प्रवेश कराया गया माल उसके वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण–पत्र में दर्ज होना चाहिये। 3– जब व्यवसायी सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी पात्रता प्रमाण पत्र का धारक हो।
		(ख) अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	**1– सामान्य सेक्टर उद्योग** अ– नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	 7 वर्ष 5 वर्ष	

2	ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने नवीन अति वृहद औद्योगिक इकाई की स्थापना की हो अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में रू0 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत निवेश कर विस्तार किया हो।	सामान्य क्षेत्र एवं अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	**2– विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग** अ– नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार **सामान्य सेक्टर उद्योग एवं विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग** अ– नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना ब– विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार	9 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष 9 वर्ष	4– नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल उत्पादन क्षमता तक एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को विस्तार के पूर्व स्थापित क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक किये गये अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में ही छूट प्राप्त होगी। 5– व्यवसायी अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में उपलब्धता होने की स्थिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करेगा।

2– **इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु –**

(एक) **"पंजीकृत व्यवसायी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी,

(दो) **"सामान्य क्षेत्र"** से अभिप्रेत है राज्य के रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा तथा रायगढ़ जिलों का क्षेत्र,

(तीन) **"अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र"** से अभिप्रेत है राज्य के उत्तर बस्तर (कांकेर), बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर जिलों का क्षेत्र,

(चार) **"नियत दिनांक"** से अभिप्रेत है 1 नवंबर, 2004,

(पांच) **"नवीन औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा दिनांक 01.11.2004 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र या वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(छः) **"विद्यमान औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(सात) **"विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार"** से अभिप्रेत नियत दिनांक के पश्चात् राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करके न्यूनतम 25 करोड़ रू0 स्थायी पूंजी निवेश करते हुए अपनी स्थापित मूल क्षमता या 3 वर्षों के औसत उत्पादन, जो अधिक हो, में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाली औद्योगिक इकाई से है,

(आठ) **"लघु उद्योग इकाई"** से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई लघु उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत आती हो तथा संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का वैध स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(नौ) **"मध्यम–वृहद औद्योगिक इकाई"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसका सकल स्थायी पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लघु उद्योगों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक, किंतु रू0 100 करोड़ से कम हो, भारत सरकार से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन, औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त किया हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया उत्पादन प्रमाण–पत्र धारित करती हो,

(दस) **"मेगा प्रोजेक्ट"** से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसने रू0 100 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करते हुए दिनांक 1 नवंबर 2004 के पश्चात् उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन, औद्योगिक लायसेंस या आशय पत्र प्राप्त कर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो,

(ग्यारह) **"अति वृहद उद्योग"** से अभिप्रेत है रू0 1000 करोड़ से अधिक सकल पूंजीगत लागत वाले वृहद उद्योग।

(बारह) **"सामान्य सेक्टर उद्योग"** से अभिप्रेत है 'विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग' को छोड़कर अन्य उद्योग,

(तेरह) **"विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग"** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है,

1– हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण
2– आटोमोबाईल, आटो कंपोनेंट्स, स्पेयर्स तथा साइकिल उद्योग
3– प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग स्पेयर्स निर्माण
4– एल्यूमिनियम पर आधारित डाऊन स्ट्रीम उत्पाद
5– खाद्य प्रसंस्करण (भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्ति हेतु अनुमोदित उद्योग)
6– मिल्क चिलिंग प्लांट तथा ब्रांडेड डेयरी उत्पाद
7– फार्मेस्यूटिकल उद्योग
8– व्हाईट गुड्स तथा इलेक्ट्रानिक उपभोक्ता उत्पाद
9– अपरंपरागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन
10– सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा उन्नत प्रौद्योगिकी
11– ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

(चौदह) **"अपात्र उद्योग"** से अभिप्रेत है उपाबंध–एक में उल्लेखित उद्योग,

(पन्द्रह) **"सकल पूंजीगत लागत"** से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल हैं उद्योग के स्थापना स्थल पर किया गया स्थायी पूंजी निवेश व अधोसंरचना लागत की कुल राशि,

(सोलह) **"अधोसंरचनात्मक लागत"** से अभिप्रेत है किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नवीन उद्योग की स्थापना या उद्योग के विस्तार हेतु भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर किये गये निवेश से है,

(सत्रह) **"स्थायी पूंजी निवेश"** से अभिप्रेत है नवीन उद्योग की स्थापना या विद्यमान उद्योग के विस्तार हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा उद्योग के स्थापना स्थल पर स्थाई परिसम्पत्तियों में शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, रेल्वे साइडिंग पर किया गया निवेश,

(अग्यारह) **"वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक"** से अभिप्रेत है–

(क) लघु उद्योग के मामले में औद्योगिक इकाई द्वारा प्रारंभ किये गये परीक्षण उत्पादन से 30 दिन बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक, जो पहले हो,

(ख) रूपये 10 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 120 दिन बाद तक का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो,

(ग) रूपये 10 करोड से अधिक किंतु 100 करोड तक स्थायी पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से 180 दिन तक बाद का दिनांक या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो।

(घ) रूपये 100 करोड से अधिक किंतु 500 करोड तक स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामलें में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 270 दिन बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, जो पहले हो,

(ड.) रूपये 500 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई द्वारा परीक्षण उत्पादन दिनांक से एक वर्ष बाद तक का दिनांक या उद्योग संचालनालय द्वारा प्रमाणित वाणिज्यिक उत्पादन का दिनांक, जो पहले हो,

उपाबंध–एक
"अपात्र उद्योगों की सूची"

(1) आईस फैक्ट्री, आईसकीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना,
(2) कन्फेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रकिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(3) मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़िया,
(4) नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धिकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(5) मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(6) फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर),
(7) हालर मिल,
(8) बुक वाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना,
(9) आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेंट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राप्ट को छोड़कर),
(10) क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राप्ट प्रिंटिंग व ऑफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर),
(11) ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फ्लाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रकिया से ईंट निर्माण को छोड़कर),
(12) टायर रिट्रेडिंग (जाबवर्क)
(13) स्टोन केशर, गिट्टी निर्माण,
(14) कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल,
(15) खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(16) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलामाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण,
(17) लेमिनेश (जूट बेग्स लेमिनेशन को छोड़कर),
(18) इलेक्ट्रिकल जॉबवर्क,
(19) सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(20) पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना,
(21) आतिशबाजी, पटाखा निर्माण,
(22) रिपेकिंग ऑफ गुड्स,
(23) चाय का ब्लेंडिग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(24) फोटो लेबोरिटीज,

(25) साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर),
(26) सभी प्रकार के कूलर,
(27) फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग,
(28) रबर स्टाम्प बनाना,
(29) बारदाना मरम्मत,
(30) पॉलीथीन बेग्स (एच.डी.पी.ई. को छोड़कर),
(31) लेदर टेनरी,
(32) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकम (निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपकमों को छोड़कर),
(33) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं,

उपाबंध–दो

1– (एक) ऐसा कोई व्यापारी, जिसने कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार किया है और इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से भुगतान में छूट प्राप्त करने की वांछा करता है, इसके अधीन संलग्न प्रारूप (क) में उस जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, आवेदन करेगा, आवेदन सामान्यतः उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जायेगा।

(दो) जहां ऐसा आवेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने के संबंध में निश्चित करने के लिये सक्षम समिति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका था तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण–दोष के आधार पर विचार कर सकेगी तथा उसका निपटारा कर सकेगी।

2– उक्त आवेदन की एक प्रति उस वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है।

3– आवेदन प्राप्त करने वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक/वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा आवेदन के प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान की जावेगी।

4– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात् लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों में अपनी रिपोर्ट कमशः महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं उप–आयुक्त वाणिज्यिक कर को तथा मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योग के प्रकरणों में कमशः उद्योग आयुक्त एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेंगे।

5– इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर से छूट पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिये ऐसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिये दो समितियां होगी–

अ– जिला स्तरीय समिति

1– कलेक्टर	**अध्यक्ष**
2– उद्योग संचालनालय/संभागीय उद्योग कार्यालय में पदस्थ अधिकारी जो न्यूनतम संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी हो	**उपाध्यक्ष**
3– लीड बैंक अधिकारी	**सदस्य**

4– संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर — सदस्य
5– महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि0 (जो राज्य शासन उद्योग विभाग के उप संचालक स्तर का अधिकारी हो) — सदस्य
6– महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र — सदस्य सचिव

ब– राज्य स्तरीय समिति

1– आयुक्त वाणिज्यिक कर
2– प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि0 या उनका नाम निर्देशिति (कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो) — अध्यक्ष / सदस्य
3– उद्योग आयुक्त या उनका प्रतिनिधि, जो अपर संचालक स्तर से कम न हो — सदस्य सचिव

6– जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी व गणपूर्ति जिला स्तरीय समिति के अनुकमांक 4 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जावेगी।

7– जिला स्तरीय समिति लघु औद्योगिक इकाई की पात्रता तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योग को पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी।

8– आवेदन प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या राज्य स्तरी समिति को एक रिपोर्ट आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा।

9– पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिये लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जावेगा। मध्यम–वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योगों के पात्रता प्रमाण पत्र मंजूरी के लिये किये गये आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जावेगा और ऐसे मामलों में उन्हें पात्रता प्रमाण पत्र उद्योग आयुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया जावेगा।

10– पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व व्यापारियों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ करना होगा।

11– (एक) समिति सामान्यतः अपनी बैठकें 2 माह में एक बार करेगी, किंतु लंबित आवेदनों की संख्या की दृष्टि से बैठक बार–बार बुलाई जा सकेगी। समिति प्रत्येक मामलों पर विचार करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र मंजूर करने या उसके लिये किया गया आवेदन खारिज करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चिय कर सकेगी।

(दो) जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर आवेदन का निराकरण किया जावेगा।

12– राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चिय का या जिला स्तर पर समिति के विनिश्चय का पुनरावलोकन करने की एवं जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी। जिला स्तरीय समिति अपने स्वयं के विनिश्चय का पुनरावलोकन कर सकेगी तथा ऐसे मामलों से संबंधित वास्तविक स्थिति राज्य स्तरीय समिति को पुनरावलोकन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर संसूचित की जावेगी।

13– राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बाध्यकारी होगें।

14- इस अधिसूचना के अधीन किसी व्यापारी द्वारा कर के भुगतान से छूट की सुविधा का विस्तार या पात्रता के या उससे संबंधित किसी विषय में राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चिय से उद्भूत किसी विषय में कोई विवाद होने की दशा में, विषय राज्य अपीलीय फारेम को निर्दिष्ट किा जावेगा। आवेदक द्वारा यह आवेदन राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर किया जा सकेगा।

(एक) राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होगें–

1– भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग–	अध्यक्ष
2– भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग–	सदस्य
3– प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग–	सदस्य
4– प्रमुख सचिव/सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग–	सदस्य
5– प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग–	सदस्य सचिव

(दो) राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति तीन से होगी व गणपूर्ति राज्य अपीलीय फोरम के अनुकमांक 2 या 3 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जावेगी।

(तीन) अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात्, अधिसूचना के उपबंधों के सामंजस्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा ओदश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझें।

(चार) राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

उपाबंध–तीन

इस अधिसूचना के अधीन छूट निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते उपलब्ध होगी :–

(एक) (क) व्यापारी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से उपाबंध दो में विनिर्दिष्ट प्रारूप तथा रीति में ऐसा स्थायी पात्रता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जावेगा, जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और अपने कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(ख) ऐसे प्रमाण पत्र प्रतिलिपि व्यापारी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जावेगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण पत्र उसे जारी किया गया था।

(दो) यदि व्यापारी को पात्रता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर जारी किया गया है तो प्रमाण पत्र उस तारीख से विखंडित कर दिया जावेगा, जिस तारीख को वह जारी किया गया था और तदुपरांत इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जावेगी और व सम्पूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले लिया गया है, व्यापारी से एक मुश्त वसूली योग्य होगी।

(तीन) (क) यदि व्यापारी कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है किंतु बाद में उसे बंद कर देता है या उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई में उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा तथा ऐसा निरस्तीकरण की तारीख से प्रभावशील होगा, जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है।

(ख) उत्पादन से सारभूत कमी हुई तब समझी जायेगी, यदि उसी उत्पाद का उत्पादन पूर्ववर्ती 5 वर्ष के औसत उत्पादन के स्तर से या संस्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत से, उनमें जो भी कम हो, नीचे गिर गया है।

(चार) ऐसा कोई व्यापारी, जो उसके द्वारा स्थापित की गई नवीन औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता है और जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन किसी अन्य व्यवसायिक कियाकलापों के लिए पूर्व से ही पंजीयन प्रमाण पत्र धारी है, ऐसा पंजीयन होते हुए भी, ऐसी नई औद्योगिक इकाई के लिये विनिर्माता के रूप में पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(पांच) (क) व्यापारी छूट की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट की कालावधि के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए भी उसे चालू रखेगा।

(ख) उद्योग आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यापारी–

(एक) सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की अवस्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा, या

(दो) उसमें कोई सारभूत कमी नहीं करेगा, या

(तीन) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा, या

(चार) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता की कालावधि की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा,

(ग) यदि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, तो इस अधिसूचना के अधीन व्यापारी को दिये समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को अंतरित हो जावेंगे।

(छः) व्यापारी छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 तथा प्रवेश कर अधिनियम के अधीन अपेक्षित विवरणियां नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(सात) व्यापारी कय किये गये माल तथा विकय किये गये उत्पादों के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुए एक खाता रखेगा।

(आठ) यदि कर की वह रकम, जिसके संबंध में छूट का लाभ लिया जा रहा है, से एक वर्ष में 5 लाख से अधिक हो जाती है, तो पात्रता प्रमाण–पत्र तभी विधिमान्य होगा, जबकि व्यापारी किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित, सुसंगत कालावधि में इकाई में उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दें।

(नौ) व्यवसायी राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय वर्ग में इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से रोजगार प्रदान करेगा।

(दस) (क) इस अधिसूचना की कंडिका 2 से 9 में के उपबंधों का तथा इस अधिसूचना के अधीन शर्तों में से किसी का उल्लंघन, पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

(ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा।

"प्रपत्र – क"

वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक ..... दिनांक ..... के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन–

मैं ..... (व्यवसायी का नाम) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन कमांक .... वैधता दिनांक ..... का धारक ने (स्थान) पर ..... (इकाई का नाम) नाम से छत्तीसगढ़ के जिले (स्थान) ..... में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/ स्थापित विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है, जिसके संबंध में प्रविष्टियां नीचे दी जा रही है:–

1– छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग द्वारा इस आशय हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक जिसके द्वारा औद्योगिक इकाई को एक नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाई प्रमाणित किया है .....

2– क्षेत्र जहां उद्योग स्थापित है (सामान्य क्षेत्र/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र) .....

3– उद्योग की श्रेणी (सामान्य सेक्टर उद्योग/विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग) .....

4– (क) नवीन औद्यागिक इकाई की स्थापित क्षमता .....

(ख) विद्यमान इकाई में विस्तार –

(i) विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता .....

(ii) विस्तार के पश्चात उत्पादन क्षमता .....

5– नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता में स्थायी पूंजी निवेश .....

6– नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता में विनिर्मित उत्पादों की प्रविष्टियां .....

7– विनिर्माण में उपभोग अथवा उपयोग के लिये माल की प्रविष्टियां–

क0	माल का विवरण	मात्रा
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

8– कच्चा माल का प्रथम क्रय का दिनांक .....

9– नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक .....

10– कुल रोजगार

श्रम वर्ग	कुल प्रदत्त रोजगार संख्या	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार की संख्या	कुल रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4
अकुशल श्रमिक			
कुशल श्रमिक			
प्रशासकीय पद			

11– प्रवेश कर से छूट हेतु का दिनांक .....
(वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
या प्रथम बार छूट लेने का दिनांक, जो भी पूर्व हो)

आवेदक निवेदन करता है कि उक्त अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिये पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

घोषणा–पत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा उक्त अधिसूचना के उपाबंध 3 में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों का पालन किया जायेगा। मेरे द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा यदि छूट पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है तो संपूर्ण कर की रकम जिसकी छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले लिया गया है, उसका एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

"प्रपत्र – ख"

प्रवेश कर छूट पात्रता प्रमाण–पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक ..... दिनांक ..... के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (नाम व पता) ..... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक ..... दिनांक ..... का धारक व्यापारी अपनी नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तारित क्षमता के संदर्भ में प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने का हकदार है।

2– व्यापारी ने नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है और वह माल के विनिर्माण में नीचे दर्शाये अनुसार माल के उपभोग अथवा उपयोग के संदर्भ में उक्त सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रखता है और उक्त माल उसके छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है–

1– .....
2– .....
3– .....
4– .....

3– व्यवसायी ने दिनांक ..... से प्रवेश कर छूट का विकल्प लिया है।

4– व्यवसायी ने नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार क्षमता में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक ..... को प्रारंभ किया है।

5– उद्योग की श्रेणी (सामान्य सेक्टर उद्योग/विशेष थ्रस्ट सेक्टर उद्योग) .....

6– क्षेत्र जहां उद्योग स्थित है (सामान्य क्षेत्र/अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में) .....

7– औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता –

(क) नवीन औद्योगिक इकाई– .....

(ख) विद्यमान औद्योगिक इकाई का विस्तार–

(i) विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता .....

(ii) विस्तार के पश्चात उत्पादन क्षमता .....

यह प्रमाण पत्र दिनांक ..... से दिनांक ..... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) की अवधि के लिये प्रभावशील है।

स्थान .....
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

यह अधिसूचना दिनांक 01 नवंबर, 2004 से प्रवृत्त समझी जायेगी तथा 1 नवंबर, 2004 या इसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने वाले उद्योगों पर लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 1-9-2005

कमांक एफ–10/29/2005/वाक/पांच–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–10/28/2005/वाक/पांच (41), दिनांक 1-9-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्पाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के.आर. मिश्रा)
उप सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance and Planning Department
(Commercial Tax Department)
Mantralaya
Dau. Kalyan Singh Bhawan, Raipur

NOTIFICATION

Raipur, Dated 1-9-2005

No. F-10/ 208/2005/CT/V (41) – In exercise of powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Chhetra Me Mal Ke Pravesh Per Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts in whole from payment of Entry Tax payable under the said Act to the class of dealers specified in column 2 of the schedule below, other than the industries specified in Annexure-I, from the date of commencement of commercial production or from the date of taking exemption for the first time, whichever is earlier, according to the areas specified in column 3 and to industries specified in class of industries of column 4, for the period specified in column 5, subject to the restrictions and conditions specified in column 6, process specified in Annexure-II and general conditions specified in Annexure-III :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Area, where industry is situated	Class of industries	Maximum period of Exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
1	2	3	4	5	6
1.	Such registered dealer who has established a new Small Industrial Unit, Medium / Large Industrial Unit or Mega Project or who undertakes expansion in existing industrial unit.	(a)General Area	**1. General Sector Industry** (a) Establishment of new industrial unit (b) Expansion in existing industrial unit **2. Special Thrust Sector Industry** (a) Establishment of new industrial unit (b) Expansion in existing industrial unit	5 years 5 years 7 years 7 years	1- When the goods specified in Schedule II and III of the Entry Tax Act (excluding the goods obtained from captive quarry / mining lease in the State, diesel and petrol) entered in to a local area for consumption or use in the process of manufacture. 2- The goods entered into a local area should be specified in his commercial tax registration certificate.

		(b) Most Backward Scheduled Tribe Dominant Area	**1. General Sector Industry** (a) Establishment of new industrial unit (b) Expansion in existing industrial unit **2. Special Thrust Sector Industry** (a) Establishment of new industrial unit (b) Expansion in existing industrial unit	7 years 5 years 9 years 7 years	3- When the dealer holds the eligibility certificate issued by the competent authority for this purpose. 4- The New Industrial Unit shall get the exemption upto original production capacity and the unit undertaking expansion in existing industrial unit shall get the exemption on additional production in excess of 100 percent of installed capacity before expansion.
2.	Such registered dealer who has established a New Very Large Industrial Unit or who undertakes expansion in existing industrial unit with a total capital cost of more than Rs. 1000 crores	General Area and Most Backward Scheduled Tribe Dominant Area	**General Sector Industry and Special Thrust Sector Industry** (a) Establishment of new industrial unit (b) Expansion in existing industrial unit	9 years 9 years	5- The dealer shall provide employment, in the case of unskilled labours at least 90 percent, in the case of skilled workers at least 50 percent subject to availability and in the case of administrative posts at least one third persons domiciled in the state.

2- For the purpose of this notification -

(i) **"Registered Dealer"** means the dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

(ii) **"General Area"** means the areas of Raipur, Dhamtari, Mahasamund, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba and Raigarh, districts of the State,

(iii) **"Most Backward Scheduled Tribe Dominant Area"** means the areas of North Bastar (Kanker), Bastar, South Bastar (Dantewada), Surguja, Korea and Jashpur districts of the State,

(iv) **"Appointed Day"** means first day of November 2004,

(v) **"New Industrial Unit"** means an industrial unit, which has commenced commercial production on or after the first day of November, 2004 and holds, as the case may be, permanent small industry registration certificate or commercial production certificate issued by a competent authority to that effect,

(vi) **"Existing Industrial Unit"** means an industrial unit, which has commenced commercial production prior to the appointed day of Industrial Policy 2004-09,

(vii) **"Expansion of the Existing Industrial Unit"** means an industrial unit which, after signing a Memorandum of Understanding with the State Government after the appointed day, invests a minimum of Rupees 25 crore towards fixed capital and expands its production capacity by more than 25% of its originally installed capacity or three year's average production, whichever is higher,

(viii) **"Small Industrial Unit"** means an industrial unit which is defined as such by the Government of India from time to time and holds a valid registration certificate of the District Trade & Industry Centre,

(ix) **"Medium / Large Industrial Unit"** means an industrial unit whose total fixed capital investment is more than the capital investment prescribed by the Government of India for a small scale industry, but less than Rupees 100 crore, has obtained, as the case may be, industrial entrepreneur memorandum certificate, industrial licence or letter of intent from Government of India and holds a production certificate issued by the competent authority,

(x) **"Mega Project"** means an industrial unit, which has fixed capital investment of more than Rupees 100 crore, has obtained, as the case may be, industrial entrepreneur memorandum certificate, industrial licence or letter of intent from Government of India and holds a production certificate issued by State's Directorate of Industries,

(xi) **"Very Large Industry"** means large industry with total capital cost of over rupees 1000 crores,

(xii) **"General Sector Industry"** means industry excluding 'Special Thrust Sector Industry'

(xiii) **"Special Thrust Sector Industry"** means and includes:-

(1) Processing of medicinal, aromatic and dye plants
(2) Automobile, auto components, spares and cycle industries
(3) Manufacturing of plant, machinery & engineering spares
(4) Downstream products based on aluminium
(5) Food processing industries (industries approved for subsidy/assistance from Government of India)
(6) Milk chilling plant and branded dairy products
(7) Pharmaceutical industry
(8) White goods and Electronics consumer products
(9) Power generation from non-conventional sources
(10) Information technology, bio-technology and advanced technology industry
(11) Such other industry as may be notified by the State Government

(xiv) **"Ineligible Industry"** means an industry specified in Annexure-I,

(xv) **"Total Capital Cost"** means and includes the total infrastructure cost and the fixed capital investment necessary for the industry, made at the premises of industrial establishment.

(xvi) **"Infrastructure Cost"** means the investment made by an industrial undertaking on land, land development, approach road, power supply and water supply necessary for the establishment of a new unit, or for expansion of an existing industrial unit,

(xvii) **"Fixed Capital Investment"** means investment made by an industrial unit at its premises, in the fixed assets in the form of factory building, shed, plant & machinery and railway siding, for establishment of a new industry or the expansion of an existing industrial unit,

(xviii) **"Date of Commencement of Commercial Production"** means-

(a) in the case of a small industry, the date following the thirty days period from the date of commencement of trial production by the industrial unit, or the date certified to be the date of commercial production by the District Trade and Industry Centre, whichever is earlier,

(b) in the case of an industrial unit having fixed capital investment of up to Rupees 10 crore, the date following the period of one hundred and twenty days from the date of commencement of trial production by the industrial unit, or the date certified to be the date of commercial production by the District Trade and Industry Centre, whichever is earlier,

(c) in the case of an industrial unit having fixed capital investment between Rupees 10 crore to Rupees 100 crore, the date following the period of one hundred and eighty days from the date of commencement of trial production by the industrial unit, or the date certified to be the date of commercial production by the District Trade and Industry Centre, whichever is earlier,

(d) in case of an industrial unit having fixed capital investment between Rupees 100 crore to 500 crore, the date following the period of two hundred and seventy days from the date of commencement of trial production by the industrial unit, or the date certified to be the date of commercial production by the State Directorate of Industries, whichever is earlier,

(e) in case of an industrial unit having fixed capital investment of more than Rupees 500 crore, the date following the one year period from the date of commencement of trial production by the industrial unit, or the date certified to be the date of commercial production by the State Directorate of Industries, whichever is earlier,

ANNEXURE –I

"LIST OF INELIGIBLE INDUSTRIES "

(1) Ice factory, manufacturing of ice cream, ice candy and ice fruit
(2) Confectionery, biscuit and bakery products (excluding certified packaged and branded products obtained from mechanised process)
(3) Manufacturing of sweets, gazak and rewadi
(4) Manufacturing of namkin, purification of edible salf (excluding standardised packaged and branded products)
(5) Grinding of masala and chillies, manufacturing of papad (excluding standadised packaged and branded products)
(6) Flour mill (excluding Roller flour mill)
(7) Huller mill
(8) Book binding, manufacturing of envelopes, paper bags, playing cards and paper cone
(9) Saw mill, all types of wooden items, carpentry, wooded furniture (excluding wooden handicraft)
(10) Cloth / paper printing press (excluding handicraft printing and offset printing)
(11) Manufacturing of bricks, ridges (excluding fly ash bricks, fire bricks and brick manufacturing from mechanised process)

(12) Tyre retreading (job work)
(13) Stone crusher, manufacturing of ballast (gitti)
(14) Coal briquette, coke and coal screening, coal fuel
(15) Powdering of mineral (excluding standardised branded products)
(16) Manufacturing of lime powder, lime chips, dolomite powder, mineral powder and Lime
(17) Lamination (excluding lamination of jute bag)
(18) Electrical job work
(19) Soda/mineral/distilled water (excluding standardised branded products)
(20) Preparation of pan masala, supari, tobbaco gutkha
(21) Manufacturing of crackers, Aatishbaji
(22) Repacking of goods
(23) Blending and packing of Tea (excluding standardised branded products)
(24) Photo laboratories
(25) Soap and Detergent (excluding standardised branded products)
(26) All types of Coolers
(27) Photocopying and Stenciling
(28) Rubber stamp making
(29) Bardana repairing
(30) Polythene bags (excluding H.D.P.E.)
(31) Leather tannery
(32) Public undertaking of Government of India or any State Government (excluding joint undertaking with private companies)
(33) Such other industries as notified by the State Government

ANNEXURE – II

1- (i) A registered dealer who establishes a new industrial unit or undertakes expansion in the existing industrial unit and is desirous of availing of the facility of the exemption from payment of entry tax under this notification shall make an application in Form A, to the General Manager, District Trade and Industry Centre of the district wherein such industrial unit is located. The application shall be made ordinarily within 90 days from the date of commencement of commercial production in the unit.

(ii) Where such an application is made after the prescribed time limit and the Committee competent to consider such application and to take a decision with regard to the grant of an eligibility certificate, is satisfied that the application could not be submitted by the dealer in time for sufficient reasons, then it may, for reasons to be recorded in writing, condone such delay and consider and dispose off the application on merits.

2- A copy of the said application shall also be sent by the dealer to the Commercial Tax Officer of the circle where such dealer is registered under Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994.

3- The General Manager, District Trade and Industry Centre / Commercial Tax Officer of the circle receiving the application shall give the acknowledgement of the receipt of the application.

4- In case of Small Industrial Unit, officer of District Trade and Industry Centre / Commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application, submit his report to the General Manager, District Trade and Industry Centre and Deputy Commissioner

Commercial Tax respectively and in case of Medium / Large Industrial Unit, Mega Project and Very Large Industry to the Industries Commissioner and Commissioner of Commercial Tax respectively.

5- There shall be two Committees for considering the application made by such industrial units for exemption from payment of entry tax under this notification -

(a) The District Level Committee-

1. Collector of the District	Chairman
2. Officer not below the rank of Joint Director posted in the Directorate of Industries / Divisional Industries Office.	Vice-Chairman
3. Lead Bank Officer	Member
4. Deputy Commissioner of Commercial Tax	Member
5. General Manager, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. (who is an officer of the rank of Deputy Director in Industries Department of State Government)	Member
6. General Manager, District Trade and Industry Centre	Member-Secretary

(b) The State Level Committee -

1. Commissioner of Commercial Tax	Chairman
2. Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. or is nominee not below the rank of Executive Director	Member
3. Industries Commissioner or his nominee not below the rank of Additional Director	Member-Secretary

6- The quorum for the District Level Committee shall be 3 and for the State Level Committee it shall be 2, but the quorum in respect of the District Level Committee shall not be deemed to have been full in the absence of the Member mentioned at serial number 4 in the Constitution of the District Level Committee.

7- The District Level Committee shall adjudge the eligibility of Small Industrial Units and the State Level Committee shall adjudge the eligibility of the Medium / Large Industrial Unit, Mega Project and Very Large Industry.

8- On receipt of the application the General Manager, District Trade and Industry Centre, shall verify the particulars given in the application and submit a report to the District Level Committee or the State Level Committee, as the case may be, within thirty days from the date of the receipt of the application.

9- Application for grant of eligibility certificate made by dealers establishing Small Industrial Units shall be considered by the District Level Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the General Manager, District Trade and Industry Centre. Application for grant of eligibility certificate made by the dealers establishing Medium / Large Industrial Unit, Mega Project and Very Large Industry shall be considered by the State Level Committee and the eligibility certificate in such cases shall be issued by the Industries Commissioner, Chhattisgarh.

10- The dealer shall have to execute and register an agreement in the prescribed form on his own expenses with the concerned General Manager, District Trade and Industry Centre.

11- (i) The Committee shall ordinarily meet once in 2 months but meeting may be convened more frequently keeping in view the number of pending applications. The Committee may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or to reject the application made therefore or call for additional information.
(ii) Every application shall be disposed of by the District Level Committee or the State Level Committee within 120 days of the date of its receipt.

12- The State Level Committee shall have full powers either *sue motto* or on reference, to review its own decision or the decision of the District Level Committee [or to give direction to the District Level Committee. The District Level Committee may review its own decision but the factual position relating to such cases shall be intimated by it to the State Level Committee within 30 days of the date of the decision of review.

13- The directions issued by the State Level Committee under this notification in respect of exemption scheme shall be binding on District Level Committee.

14- In the event of any dispute arising out of the decision of the State Level Committee regarding the scope or eligibility of the facility of exemption from payment of tax by any dealer under this notification or any matter connected therewith, the matter may be referred to the State Appellate Forum. The reference could be made by the applicant within 60 days from the date of communication of the order of State Level Committee.
(i) The State Appellate Forum shall consist of :

1. Minister in-charge, Commerce and Industries Department	Chairman
2. Minister in-charge, Commercial Tax Department	Member
3. Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax Department	Member
4. Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Affairs Department	Member
5. Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Department	Member-Secretary

(ii) The quorum for the State Appellate Forum shall be three and the quorum shall not be deemed to have been completed in absence of the members specified at Sr. No. 2 or 3.
(iii) The Appellate Forum, after consideration of each case referred to it, pass such order keeping in consonance with the provisions of the notification as it may think fit.
(iv) The order passed by the State Appellate Forum shall be final and binding.

ANNEXURE-III

The exemption under this notification shall be available subject to the following general conditions:-

(i) (a) The dealer shall obtain a permanent eligibility certificate from the officer authorised for this purpose in the form and manner specified in Annexure II specifying *inter alia* the goods in respect of which the exemption is available and shall furnish a copy of such certificate to the assessing authority at the time of his assessment.
(b) A copy of such certificate shall be furnished by the dealer alongwith his return for the quarter during which such certificate was issued to him.

(ii) If an eligibility certificate has been issued to a dealer due to misrepresentation of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the date it was issued and thereupon the exemption under the notification shall stand withdrawn and the entire amount of tax in respect of which exemption has been availed of upto the date of cancellation shall be recoverable from the dealer in one installment.

(iii) (a) If a dealer establishes a new industrial unit but closes down or deliberately reduces production substantially in an existing industrial unit within the state engaged in production of the same product, the eligibility certificate shall be liable to be cancelled by the authority sanctioning the issue of such certificate and such cancellation shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.
(b) A substantial reduction in production shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 5 years or 60% of the installed capacity, whichever is less.

(iv) A dealer who opts to avail of exemption under this notification in respect of a new industrial unit established by him and who already holds a registration certificate under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 for any other business activity shall, notwithstanding such registration, obtain a separate registration certificate as a manufacturer for such new industrial unit.

(v) (a) The dealer shall keep the industrial unit running during the period of eligibility for exemption and also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
(b) Without the prior permission in writing of the Industries Commissioner the dealer shall not:
(1) Change the location in whole or in part of the industrial unit; or
(2) Effect any substantial contraction; or
(3) Dispose of any substantial part of the total capital investment in the industrial unit; or
(4) Effect any change in the ownership during the period in which the facility of exemption is availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
(c) in case a change in ownership is permitted all the rights and liabilities under this notification shall pass on the new owner.

(vi) The dealer shall regularly furnish the returns required to be furnished under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam and the Entry Tax Act.

(vii) Every dealer shall maintain a ledger including details of materials purchased and products sold in respect of which the facility of exemption from payment of tax is availed of.

(viii) If the amount of tax in respect of which the facility of exemption is availed of exceeds Rs. 5 Lacs in a year the certificate of eligibility shall be valid only if the dealer produces before the appropriate Commercial Tax Officer a certificate of production in the unit in the relevant period duly signed by a Chartered Accountant.

(ix) The dealers shall provide minimum percentage of employment specified under this notification to the persons domiciled of the state in the category of unskilled labours, skilled labours and administrative posts.

(x) (a) A breach of any of the provisions in paragraphs 2 to 9 and any of the conditions in this notification shall render the eligibility certificate liable for cancellation by the Committee sanctioning the issue of such certificate under this notification.
(b) If the circumstances so warrant, such cancellation may be given retrospective effect.

FORM–A

Application for grant of an eligibility certificate for availing of the facility of exemption from payment of entry tax under Commercial Tax Department Notification No. ..... Dated .....

I ..... (Name of the dealer) holding registration certificate No. ..... Validity date ..... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 have established a new industrial unit / have undertaken expansion in my existing industrial unit under the name(Name of unit) ..... located at (Place) ..... in the district of Chhattisgarh, the particulars whereof are given below,-

1- No. and date of certificate issued by an authority duly authorised for the purpose by the Commerce and Industries Department of the Government of Chhattisgarh certifying the industrial unit to be a new industrial unit/the existing industrial unit to have undertaken expansion. .....

2- Area where the industry is situated (General Area / Most Backward Scheduled Tribe Dominant Area) .....

3- Category of Industry (General Sector Industry /Special Thrust Sector Industry) .....

4- (a) Installed capacity of the new industrial unit .....

(b) Expansion in the existing industrial unit-

(i) Production capacity prior to expansion .....

(ii) Production capacity after to expansion .....

5- Fixed capital investment in the new industrial unit / expanded capacity in the existing industrial unit. .....

6- Particulars of goods to be manufactured in the new industrial unit / expanded capacity of the existing industrial unit. .....

7- Particulars of goods for consumption or use in the process of manufacture .....

S.No.	Description of goods	Quantity
1	.....	.....
2	.....	.....
3.	.....	.....

8- Date of first purchase of raw material .....

9- Date of commencement of commercial production in the new industrial unit / in the expanded capacity of the existing industrial unit .....

10- Total employment-

Catagory of labour	Total No. of employment provided	No. of employment provided to the domiciled residents of the state	Percentage of employemnt provided to the domiciled residents of the state in total employment
1	2	3	4
Unskilled Labour			
Skilled Labour			
Administrative Post			

11- Date for exemption of entry tax (date of commencement of commercial production or date of taking exemption for the first time, whichever is earlier .....

The applicant prays that he may be granted an eligibility certificate for exemption from payment of entry tax under the said notification.

Place .....
Date .....

Signature .....
Designation .....

DECLARATION

I declare that I shall comply with the general conditions specified in Annexure-III of the said notification. On breach of any conditions by me if eligibility certificate for exemption is cancelled by the sanctioning authority than I shall pay the entire amount of tax in one instalment in respect of which exemption has been availed of upto the date of cancellation.

Place .....
Date .....

Signature .....
Designation .....

FORM - B
Certificate of Eligibility for Exemption of Entry Tax

(issued under Commercial Tax Department Notification No. ..... dated .....)

Certified that the dealer (Name and address) ..... holding registration certificate No. ..... date ..... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 is eligible to avail of the facility of exemption from payment of entry tax in respect of the new industrial unit / expanded capacity of the existing industrial unit.

2- The dealer has established a new industrial unit/has undertaken expansion in his existing industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility in respect of the following goods consumed or used in the process of manufacture of goods and the said goods are specified in his registration certificate under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994:

(1) .....
(2) .....
(3) .....
(4) .....

3- The dealer has opted for entry tax exemption from date.....

4- The dealer has commenced production in the new industrial unit/in the expanded capacity of the existing industrial unit on .....

5- Catagory of Industry ((General Sector Industry / Special Thrust Sector Industry).....

6- Area where the industry is situated (General Area / Most Backward Scheduled Tribe Dominant Area) .....

7- Production capacity of the industrial unit-

(a) Installed capacity of the new industrial unit .....

(b) Expansion in the existing industrial unit-

(i) Production capacity prior to expansion .....

(ii) Production capacity after to expansion.....

This certificate is valid for the period from ..... to ..... (both days inclusive).

Place .....
Date .....

Signature .....
Designation .....

This notification shall be deemed to have come in to force with effect from 1st. November, 2004 and shall be applicable on the industries commencing commercial production on or after 1st November, 2004.

By ordered and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(K.R. Misra)
Deputy secretary